रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 16, 1971 (आश्विन 24, 1893)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1971 (ASVINA 24, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

-NIL-

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

M281GI/71

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	863
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1491
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	75
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1185
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3989
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	5137
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	895
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1341
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	379
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	165
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	2251
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	195
पूरक संख्या 38—	
28 अगस्त 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1479
7 अगस्त 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1487

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	863
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1491
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	75
PART I—SECTION 4.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1185
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3989
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	5137
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	895
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1341
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	379
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	165
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2251
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	195
SUPPLEMENT No. 38	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 28th August 1971	1479
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 7th August 1971	1487

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION) 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर 1971

सं० 68-प्रेज०/71—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम जीवन सिंह,

कांस्टेबल सं० 412

2री बटालियन,

विशेष सशस्त्र दल,

ग्वालियर,

मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

डाकू मनी राम चमार ने ग्वालियर, भिन्ड और दतिया जिलों के इलाके में आंतक फला रखा था और अनेकों हत्याएं, डकेतियां तथा निष्कृति-धन प्राप्त करने के लिए अपहरण किये थे। 5 जनवरी, 1971 की सायं गोहद पुलिस थाने में सूचना मिली कि डाकू मनी राम तूदिला गांव में छिपा हुआ है । छापा मारने के उद्देश्य से उपलब्ध पुलिस दल को एकत्रित किया गया । श्री राम जीवन सिंह ने इस कार्य के लिए अपनी सेवायें समर्पित की । तुदिला गावं में पुलिस के पहंचते-पहंचते अधेंरा हो गया था जिस से दृश्यता कुछ फुट की दूर तक ही सीमित थी । श्री राम जीवन सिंह गांव के पास की नदी की ओर जा रहे थें और शंकात्मक हरकत देखते की उन्होंने उस व्यक्ति को चुनोती दी परन्तु उसने 303 राइफल से गोली चला दी । अतिकाम कुख्यात डाकु मनी राम चमार था । जैसे ही वह अपनी राइफल को फिर से भर रहा था , श्री राम जीवन सिंह ने अपनी ब्रेनगन से गोलियों की वौछार कर दी और डाकू को मार गिराया ।

इस घचना में श्री राम जीवन सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-परायणाता का प्रदर्शन किया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1)के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी ,1971 से दिया जायेगा ।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1971

सं० आर० एस० 18/71-टी०—उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक निर्वाचित सदस्य, श्री जोगेन्द्र सिंह ने 20 सितम्बर, 1971 से राज्य सभा में अपना स्थान त्याग दिया है ।

दिनांक 1 अक्तूबर 1971

सं० आर०एस० 18/71-टी०—राज्य सभा के एक नाम निर्देशित सदस्य, प्रो० सैयद नूरुल हसन ने 30 सितंबर, 1971 से राज्य सभा में अपना स्थान त्याग दिया है ।

बी० एन० बनर्जी, सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1971

सं० 9/6/71-सी०एस०(2)—आपात कालीन कमीशन प्राप्त/लघु सेवा कमीशन-प्राप्त उन निर्मुक्त अधिकारियों के प्रवरण के लिए, जिनको 1 नवम्बर, 1962 के बाद और 10 जनवरी के पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन दिए गए थे, निम्नलिखित सेवाओं/पदों में उनके लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए सन् 1972 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है ।

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख) – (आशुलिपिकों के उप-काडर की ग्रेड II,

(2) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II, (श्रेणी की प्रवरण सूची में शामिल करने के लिए),

(3) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड, II, और

(4) चुनाव आयोग, दिल्ली के कार्यालय में आशुलिपिक के पद ,

(5) केन्द्रीय सर्तकता आयोग, दिल्ली के कार्यालय में आशुलिपिक के पद,

(6) संसदीय कार्य विभाग , दिल्ली में आशुलिपिकों के पद,

(7) पर्यटन विभाग, दिल्ली में आशुलिपिकों के पद, तथा

(8) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं है ।

उम्मीदवार ऊपर उल्लिखित सेवाओं में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । वह जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहे उन सबका अपने आवेदन पत्र में उल्लेख कर सकता है ।

ध्यान दें 1—उम्मीदवारों को चाहिए, कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं उनका प्राथमिकता-क्रम अपने आवेदन-पत्रों में स्पष्ट लिखें । उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करना चाहते हैं, उन सब का उल्लेख करें ताकि योग्यताक्रम में उनके स्थान का ध्यान रखते हुए नियुक्तियां करते समय उनकी प्राथमिकताओं पर यथोचित विचार किया जा सके ।

ध्यान दें 2—भारत सरकार के कुछ विभागों/कार्यालयों में, जो इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करते हैं, केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की आवश्यकता पड़ेगी, और इन विभागों/कार्यालयों में इस परीक्षा में परिणामों के आधार पर आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्तियां केवल उनमें से की जाएंगी, जो अंग्रेजी की लिखित परीक्षा आशुलिपि के परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिश किए जाएंगे (नियमों के परिशिष्ट 1 का पैरा 3 देखिए)

ध्यान दें 3 :—उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता-क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायगा जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय को 31 अक्तूबर, 1972 को या उससे पहले न मिल जाय ।

2 परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किऐ गए नोटिस में बता दी जायगी ।

भारत सरकार के निश्चय के अनुसार निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित आदेश, । 1956 संविधान (अन्डमान तथा निकोबार दीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित-जातियां आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968 के साथ पठित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित कोई भी जाती या आदिम जाति ।

3 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में विहित विधि से किया जाएगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायंगे ।

4 इन नियमों के उपबंधों के अधीन वे सभी आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी/लघु सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, जिनको सशस्त्र सेनाओं में 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् और 10 जनवरी, 1968 के पूर्व कमीशन दिया गया था और इस अधिसूचना की तारीख के पूर्व निर्मुक्त किए जा चुके हैं या इस के बाद सन् 1972 की समाप्ति तक नियुक्त किए जाने हैं ।

परन्तु वे आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी/लघु सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी जिनको 1 नवम्बर, 1962 के बाद और 10 जनवरी, 1968 के पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन दिया गया है और सन् 1972 के पूर्व निर्मुक्त किए जा चुके हैं या सन् 1972 तक निर्मुक्त किए जाने हैं, नियम 8 के उपबंधों के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी 1:—इन नियमों के प्रयोजन के लिए सेवामुक्ति का अर्थ है:—

(1) सेवामुक्ति के नियम के अनुसार सेवा मुक्ति

(2) सैन्य सेवा में हुई अशक्तता या उसके परिणाम स्वरूप असमर्थता । उक्त सेवा मुक्ति का तात्पर्य उस सेवा मुक्ति से है जो सशस्त्र सेना में अल्प अवधि की सेवा के बाद हुई हो, न कि प्रशिक्षण के दौरान अथवा अन्त में, अथवा उसे अल्प सेवा कमीशन के दौरान अथवा उसके अन्त में जो वास्तविक सेवा के लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया हो और न ही इसमें उन अधिकारियों के मामले शामिल होंगे जिन्हें कदाचरण अथवा अदक्षता के कारण अथवा जिन्हें अपने अनुरोध पर सेवा मुक्ति किया गया हो ।

टिप्पणी 2 :—'सेवा मुक्ति का नियत वर्ष अभिव्यक्ति का अर्थ है :—

(1) जहां तक इसका सम्बन्ध आपात कमीशनप्राप्त अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार सेवामुक्त होने हैं, और

(2) जहां तक इसका सम्बन्ध अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें उनका अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में 5 वर्ष का सामान्य सेवाकाल समाप्त होना है ।

टिप्पणी 3 :—यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र देने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाए या वह सशस्त्र सेना से त्याग दे दे या उसे वहां से बदाचरण, अदक्षता अथवा उसके अनुरोध पर उसे सेवा मुक्त किया जाए तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

टिप्पणी 4 :—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन या सरकारी उद्यमों में नियुक्त इंजीनियर और डाक्टर इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनसे अनिवार्य दायित्व योजना के अधीन निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए सशस्त्र सेना में सेवा करने की अपेक्षा की जाती है तथा ऐसी सेवा की अवधि में संबंधित नियमों के अधीन जिन्हें अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है ।

टिप्पणी 5 :—सशस्त्र सेना के स्वयं सेवक आरक्षित दलों (वालिण्टिर रिजर्व फोर्स) के अधिकारी तथा जिन्हें अस्थायी सेवा के लिए बुलाया गया हो, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे ।

5. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नैपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में अस्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और केन्या, युगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) के इर्वी पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजित हुआ हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता' प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

परन्तु श्रेणी (च) से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए पात्रता-प्रमाण - पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

यदि ऊपर की (च) श्रेणी के वे गैर-नागरिक ,जो संविधान लागू होने की तारीख, अर्थात 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं । परन्तु जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, उसके लिए सामान्य रूप में पात्रता-प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा ।

इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) श्रेणियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख)-(आशुलिपिकों के उपर-संवर्ग के ग्रेड II) में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

(2) जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यदि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अन्तिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है ।

6. (क) जो आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी उपर्युक्त नियम 4 के अधीन इस परीक्षा में बैठना चाहता हो उसके लिए यह जरूरी है कि जिस वर्ष उसने सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया था या कमीशन प्राप्त किया था (जहां प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल कमीशन के बाद थी) उस वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु पूरे 24 वर्ष की न हुई हो ।

(ख) 24 वर्ष की आयु-सीमा में उन आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए 35 वर्ष की आयु तक की छूट दे दी जायगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में आशुलिपिकों (इसमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है) लिपिकों/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप में नियुक्त किए गये थे और जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिस वर्ष) उन्होंने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया था या कमीशन प्राप्त किया था (जहां कमीशन के बाद प्रशिक्षण हुआ था), आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक/आशुटंकक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का निरंतर सेवा कर ली थी और उसी रूप में कार्य करते आ रहे होते यदि सशस्त्र सेना में प्रवेश न करते या जिन्होंने 1 जनवरी , 1970 को भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में नियमित रूप में आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक/आशुटंकक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा कर ली है तथा उसी रूपमें नौकरी करते आ रहे हैं ।

परन्तु उपर्युक्त आयु सम्बन्धी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायेगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किये जा चुके हैं :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ,ग्रेड II, या

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, ग्रेड II, या

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख), या

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ।

टिप्पणी :—डाक व तार तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जायगी ।

2. सेवा लिपिकों द्वारा अधिष्ठापनों में की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जायगी ।

(ग) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट दी जायगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ,

(5) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष वर्ष तक ,

(7) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ,

(8) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूत-पूर्व-टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ,

(9) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1962 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो ,तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ,

(11) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कामिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(12) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ,

(13) यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ,

(14) यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(15) यदि उम्मीदवार ने 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह अन्डमान व निकोबार दीपसमूह का निवासी हो तो अधिक से अधिक 4 वर्ष तक , और

(16) यदि उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना में 1963 या 1964 या 1965 में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल अमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह भारत का नागरिक हो तथा लंका से आया हुआ देश-प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

ध्यान दें :—(1) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 8 (ख) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि वह आवेदन पत्र देने के बाद, परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्याग पत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए तो उस

की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाये तो वह पात्र बना रहेगा ।

(II) वह आशुलिपिक (भाषा-आशुलिपिक समेत) /लिपिक /आशुटंकक जो सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश करते समय या कमीशन (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात हुआ था) में प्रवेश करते समय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निः संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर था या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निः संवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति पर है सशस्त्र सेना से सेवामुक्त होने पर यदि अन्यथा सब प्रकार से पात्र हो तो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा ।

7. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जयेगी यह प्रतिबन्ध सन 1969 में हुई परीक्षा से लागू होगा ।

8 इन नियमों के उपबंधों के अधीन उम्मीदवार को अपने निर्मुक्त होने की वर्ष में और निर्मुक्त होने की वर्ष के अगली वर्ष में क्रमशः पहली और दूसरी बार ली जाने वाली परीक्षाएं देनी हैं ।

परन्तु :–(I) सन् 1971 में निर्मुक्त उम्मीदवार सन् 1972 में ली जाने वाली परीक्षा अपने पहले अवसर के रूप में दे सकता है , और

(II) सन् 1970 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद सन् 1970 में सैनिक सेवा के कारण प्राप्त अशक्तता या गंभीरता के कारण असमर्थ हुआ उम्मीदवार सन् 1972 में ली जाने वाली परीक्षा अपने पहले अवसर के रूप में दे सकता है ।

(III) सन् 1970 में निर्मुक्त उम्मीदवार सन् 1972 में ली जाने वाली परीक्षा में अपने दूसरे अवसर के रूप में बैठ सकता है ।

टिप्पणी:– उपर्युक्त उपबंध (II) में लिखित शर्त उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार यथास्थिति, सन 1970 में (आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के संबंध में) या 3 या 5 वर्ष की सामान्य सेवावधि के बाद में (लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में) निर्मुक्त किए जाने थे ।

9 यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाणपत्र हो :–

(I) भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा,

(II) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग), माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के दिये जाने के लिए ली गई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के समकक्ष मानती हो ।

(3) केम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर केम्ब्रिज),

(4) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपियन हाई स्कूल परीक्षा,

(5) अरविन्द इन्टरनेशनल सैन्टर आफ एजुकेशन पाण्डिचेरी की उच्चतर माध्यमिक पाठ्यचर्या की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(6) दिल्ली पौलीटेकनीक के तकनीकी हायर सैकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(7) मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/मल्टी पर्पज स्कल द्वारा ली गई वह परीक्षा जो कि अन्तिम वर्ष से एक वर्ष पूर्व/मल्टी पर्पज कोर्स (जो कि विद्यार्थी को तीन साल की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रवेश पाने को सहायता करता हो),

(8) स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाले किसी मान्यता-प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए,

(10) बंगाल (साइंस) स्कूल सार्टिफिकेट,

(11) नैशनल काउन्सिल आफ् एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कल सर्टेंडेड परीक्षा,

(12) पांडीचेरी की नीचे लिखि फ्रेंच परीक्षाएं:–

(I) ब्रीवे एलिमेतेयर

(II) ब्रीवे देएसीमा प्रीमियेरद लांग इंदियेन

(III) ब्रीवे दे सत्यूदद् प्रीमियूर सिवल

(IV) ब्रीवे द एंसीमा प्रमीयूर सुपीरियर दे लांग इंदियेन और

(5) ब्रीवे दे लांग इंवियेन (वर्नाकूलर),

(13) इंडियन आर्मी स्पेशल संटिफिकेट आफ एजुकेशन,

(14) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन टैस्ट,

(15) एडवासं क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(16) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट) परीक्षा,

(17) इस्ट बंगाल सैकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड ढाका, द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र,

(18) पूर्व पाकिस्तान में कौमिला (राजशाही/खुलना स्थित सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड द्वारा दिए गए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट,

(19) नैपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा,

(20) एंग्लोवर्नाकूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट वर्मा,

(21) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट,

(22) शिक्षा विभाग, बर्मा (युध्द-पूर्व) की एंग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा,

(23) बर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,

(24) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की 'विनीत' परीक्षा,

(25) गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा 'लाइसियूम' के पाचवें वर्ष में पास,

(26) 'सामान्य' स्तर पर लंका की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिहंली या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो,

(27) 'सामान्य' स्तर पर लंदन के एसोसियेटेड एग्जामिनेशन बोर्डस की जरनल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो,

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सैकण्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(29) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) अथवा प्राचीन खण्ड, मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का कोर्स) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की विशेष परीक्षा जो कि अतिरिक्त विषयों में अंग्रेजी एक विषय हो, और

(30) इसकोला इण्डस्ट्रील कर्मशियल डी गोवा, पनाजी जो कि पुर्तगाल के अधीन गोवा, दमन और दियू की आजादी से पूर्व निर्भित किया गया दुबारा दिया गया कार्यज कुरसो डी फरमार्का डी सिरलाथियरों (लुहारी कोर्स सर्टिफिकेट और काटी डी फुरसो डी माटाडार इलक्ट्रकसरी विद्युत् कोर्स) का प्रमाण-पत्र।

टिप्पणी:--I यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो जिसमें उतीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी आवेद न पत्र दे सकता है बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले हो जाये। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य शर्तें पूरी करते हों तो उन्हें परीक्षा मे बैठने दिया जायगा, किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अन्तिम होगी होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरु होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी।

टिप्पणी:- किन्हीं आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके या इस नियम में निर्धारित कोई उपाधि नहीं है आयोग अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है बशर्ते कि उसके पास ऐसी अर्हताएं हो जिनका स्तर, आयोग की राय में, परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यायोचित है।

10 ऐसा कोई व्यक्ति:-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का विधित: समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति जीवित रहते ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित: समझौता किया हो उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि इस ओर से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह संबंधी अन्य पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिक, नियमों के अर्न्तगत ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हो तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकता है।

11 जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवा कर रहा हो उसे इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपनी यूनिट के कमान-अफसर को प्रस्तुत करना होगा जो उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेज देगा।

जो अन्य सभी उम्मीदवार सरकारी सेवा कर रहे हों, उन्हें इस परीक्षा में बैठने के लिए अपना आवेदन पत्र अपने संम्बंधित विभाग के अध्यक्ष अथवा कार्यालय के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना आवश्यक है जो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग को भेज देगा।

12 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनपर नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी:- अशक्त भूतपूर्व-रक्षा, कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डीमौलाइजेशन मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

13. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

14. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

15. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन, प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा ।

16. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किये है या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेराफेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रौजीक्युशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) उसे हमेशा के लिए या किसी विशे अवधि के लिए,

(i) आयोग उम्मीदवार के चुनाव के लिए ली जाने वाली अपनी किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में उसे शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार अपने अधीन नियुक्त होने से उसे रोक सकती है ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती ।

17. परीक्षा के पश्चात्—प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप में दिए गए कुल अंकों से प्रकट गुणों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों की क्रमबद्ध सूची बनाई जायेगी और परीक्षा के परीणामों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी II की प्रवरण सूची में शामिल करने के लिए उसी क्रम से आयोग उन उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा और दूसरी सेवाओं/पदों की नियुक्ति जो कि इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप भरती निश्चित की जाएं ।

परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का जो उम्मीदवार किसी सेवा/पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न होने पर भी आयोग द्वारा उसे सेवा /पद पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी II की प्रवरण सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाए और इससे प्रशासनिक कुशलता में किसी प्रकार का व्यधात होने का भय न हो, तो वह उस सेवा/पद में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों /अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली पदों पर नियुक्ति का हकदार होगा ।

18. (क) यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ग/सेवाओं/पदों के लिए सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो न भरे गए खाली पद सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली पद्धति से भरे जायेगें ।

18. (ख) यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या उन रिक्त स्थानों से जो सेवा मुक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए सुरक्षित हो, से अधिक हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिनकी नियुक्ति न हुई हो तो नियुक्ति के लिए उससे अगले वर्ष में उनके लिए सुरक्षित अभ्यंश रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची में रखें जाएगें ।

19. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मोदवार द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं पर उस वर्ग में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा । (देखिए आवेदन पत्र का खाना 25)

20. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

21. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता । इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकता अनुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए लिए हर प्रकार से उपयुक्त है ।

22. जिन सेवाओं/पदों के लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है ।

एम० के० वासुदेवन,
अवर सचिव

परिशिष्ट –I

1. प्रतियोगिता-परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(क) दो विषयों में लिखित परीक्षा जैसा नीचे के पैरा 2 में दिया गया है जिसके पूर्णांक 200 होगें ।

(ख) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षाएं, जैसा नीचे के पैरा 3 में दिया गया है, जिनके पूर्णांक 250 होगें ।

(ग) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए सेवा के रिकार्ड का मूल्यांकन के लिए 50 अंक होंगे ।

2. लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होगें :–

भाग क —लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1- अंग्रेजी	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग ख

आशुलिपिक की परीक्षा हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में उनके लिए होगी जो लिखित परीक्षा में पास होगें।

250 अंक

टिप्पणी :– उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट, टाइप करने होगें और इसके लिए उन्हें अपनी-अपनी टाइप-मशीन लानी होगी।

3. परीक्षा का पाठ्य-विवरण साथ लगी अनुसूची में दिए अनुसार होगा और लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र वही होंगे जो साथ-साथ होने वाली नियमित आशुलिपिक परीक्षा की योजना में इन विषयों के लिए होगें।

4. उम्मीदवार लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र 11 का उत्तर हिन्दी देवनागरी या अंग्रेजी में लिखिने का विकल्प कर सकते हैं। यह विकल्प पूर्ण प्रश्न के लिए लागू होगा न कि उस में किसी भाग के लिए।

जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र हिन्दी देवनागरी में लिखने का विकल्प करेगें उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल हिन्दी देवनागरी में लिखना होगा और जो उम्मीदवार पर्वोक्त प्रश्न पत्र अंग्रेजी में लिखने का विकल्प करेंगें उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल अंग्रेजी में लिखना होगा।

टिप्पणी :– जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान का 11 प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 10 में लिखें। अन्यथा यह माना जायेगा उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में अंग्रेजी में लिखेंगें।

टिप्पणी :– एक बार का विकल्प अंतिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. लिखित परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र (1) का उत्तर सही उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से ऊपर रखा जायेगा (प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को, प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये कुल अंकों से यथा प्रकाशित गुणों के पर स्पर अनुकूल में रखा जायगा।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होगें। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

9. केवल उन्ही उम्मीदवारों को अनशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगें।

10. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगें।

12. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनूसूची

परीक्षा का स्तर और पाठ्य-विवरण

टिप्पणी :– प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता हैं।

अंग्रेजी :— यह प्रश्न पत्र इस रूप में तैयार किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों के अंग्रेजी —व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध-लेखन, सार लेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और पूर्वसर्ग (प्रीपोजिशन) कर्तवाच्य और कर्मवाच्य आदि शामिल किए जा सकते हैं।

सामान्य ज्ञान:– निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी: भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखें व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती।

भाग – ख

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशम परीक्षाएं होगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे। हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होगी एक 120 शब्द प्रतिमिन्ट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 और 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होगें।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है

(क). केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि (स्टेनोग्राफर) सेवा

इस समय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित चार श्रेणियां ग्रेड हैं।

प्रवरण श्रेणी:—350-25-500-30-590-द० रो० 0-30-800-द० रो० 30-830-35-900-रु० (श्रेणी-1 से प्रोन्नत व्यक्तियों को इस वेतन क्रम में कम से कम 500 रु० वेतन दिया जाता है)।

श्रेणी —1 350-25-650-द० रो०-30-770- रु० (श्रेणी-2 से प्रोन्नत व्यक्तियों को कम से कम 400 रू० वेतन दिया जाता है।)

श्रेणी—2 210-10-270-15-300- द० रो०-15-450-द० रो० 20-530 रु०

श्रेणी - 3 130-5-160-8-200-द० रो० -8-256-द० रो० 8-280 रु०।

(2) सेवा के ग्रेड II में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगें। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति की उसके पद पर पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा तो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि और जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड 2, में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड-II में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगें।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा ग्रेड-2, में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगें।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों उप-सवर्ग का ग्रेड-II

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग के ग्रेड-2 का वेतन क्रम 210-10-270-15-300- द० रो० 15-450- द० रो० -20-530 रु० है। भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप-संवर्ग के ग्रेड-2, में नियुक्त अधिकारियों पर, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस० पी०) नियम 1964 तथा भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा 'ख' पर लागू होने हैं, तथा अन्य ऐसे नियम, तथा आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं लागू होंगें।

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की बदली आमतौर पर विदेश व्यापार तथा सम्भरण मंत्रालय (विदेश व्यापार विभाग) के अतिरिक्त अन्य मंत्रालय में नहीं की जा सकती। हां, उनकी नियुक्ति विदेशों में अन्य मंत्रालय के उपस्थिति-रजिस्टर में आनीत पदों पर की जा सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों इत्यादि में भी उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। वे भारत में या इस से बाहर अपारिवारिक केन्द्रों सहित कहीं भी सेवा पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

विदेश में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को अपने मूल वेतन के अलावा सम्बन्धित देशों के निर्वाह खर्च को देखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है। इस के अलावा भारतीय विदेश सेवा (पी०एल०सी०ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू होते हैं, के अनुसार उन्हें विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार निःशुल्क साजसामान-युक्त आवास।

(2) सहायक चिकित्सा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं।

(3) कुछ शर्तों के अधीन 8 से 21 वर्ष तक की आयु के भारत में शिक्षा पाने वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार लम्बी छुट्टियों के दौरान माता पिता से मिलने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया।

(4) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 5 से 18 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए शिक्षा-भत्ता।

(5) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर और विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के सम्बन्ध में सज्जा-भत्ता। जिन अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे देशों में की जाती है जहां असामान्य रूप से ठंड पड़ती है, उन्हें सामान्य भत्ता के अलावा विशेष सज्जा-भत्ता दिया जाता है।

(6) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवार के लिए छुट्टियों में घर जाने आने का यात्रा व्यय।

सेवा के सदस्यों पर, कुछ आशोधनों के साथ, समय-समय पर यथा-संशोधित पारिशोधित छुट्टी नियम, 1933 लागू होगें । कुछ पडौसी देशों को छोड़ कर अन्य देशो में नियुक्त अधिकारी विदेश सेवा के लिए, परिशोधित छुट्टी नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा के हकदार होगें ।

भारत में रहते हुए अधिकारी अपने समान तथा उसी स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य रियायतों के हकदार होगें ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 तथा उनके अधीन जारी किये गए आवेश लागू होते है ।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर समय-समय पर यथा संशोधित उदारीकृत पेन्शन, नियम, 1950 के तथा उसके अधीन जारी किये गये आदेश लागू होते है ।

ग – सशस्त्र सेवा मुख्यालय आशुलिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्न-लिखित दो ग्रेड हैं :–

आशुलिपिक ग्रेड-I–(श्रेणी-II–राजपत्रित) 350-25-650 रु०

आशुलिपिक ग्रेड-II, –(श्रेणी-II– अराजपत्रित)–210-10-270-15-300-द० रो०-15-450- द० रो०-20-530- रु०

ग्रेड -I, के पद ग्रेड -II, के आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल ग्रेड-II, में ही की जाती है ।

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड-II, के रूप में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि में सेवा का रिकार्ड असन्तोषजनक होने पर परिवीक्षा-धीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है । परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा के किसी सदस्य को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं ।

3. सशस्त्र सेवा मुख्यालय में भर्ती किये गये आशुलिपिक ग्रेड-II, आमतौर पर दिल्ली /नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेवा मुख्या-लय और अन्तः सेवा संगठनों के किसी एक कार्यालय में नियुक्त किये जायेंगें । किन्तु उनकी बदली दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर ऐसे नगरों में भी की जा सकेगी जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय अन्त सेवा संगठनों के कार्यालय स्थित हो ।

4. आशुलिपिक ग्रेड-II, समय-समय पर लागू नियमों के आनुसार ग्रेड -1 के पदों पर पदोन्नति के पात्र होगें ।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वहीं है जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तः सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

घ – भारतीय चुनाव आयोग

भारतीय चुनाव आयोग में इस समय निम्नलिखित श्रेणी के आशुलिपिक हैं:–

(1) भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव:–350-25-500-30-590 द० रो० 30-800-द० रो० 30-830-35-900 रु० के वेतन में (इस पद पर पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों को इस वेतन में कम से कम 500 रु० प्रति मास वेतन दिया जाता है)

(2) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक:–350-25-650- द० रो० -40-770- द० रो० रु० के वेतन मान में पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाता है)।

(3) आशुलिपिक – 210-10-270-15-300-द० रो० 15-450 द० रो० 20-530- रु० वेतन मान है ।

(4) आशुलिपिक:– 130-5-160-8-200- द० रो० -8-256- द० रो० 8-280 ।

ये पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल नहीं है और इन पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई दावा न कर सकेगें । इस पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें ।

210-530 रु० के वेतन में निर्धारित प्रतिशत स्थान लोवर ग्रेड के व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जा सकेगें 210 -530 रु० के वेतन मान में से आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परिवीक्षा के दौरान आयोग द्वारा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना और विहित परीक्षा पास करनी पड़ सकती है । वह व्यक्ति इस संबंध में समय -समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होगें ।

ड—पर्यटन विभाग

पर्यटन विभागमें वरिष्ठ आशुलिपिकों के पद पर 210-10-270-15-320- द० रो० -15-425 के परिशोधित वेतन मान में स्वीकृत हैं और सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी -II, (अराजपत्रित) लिपिक-वर्गीय से सम्बन्धित हैं । कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ आशुलिपिक 320-15-470-द० रो० -15-530- रु० के वेतन मान में वैयक्तिक सहायकों के पद पर नियुक्ति के पात्र होते है । इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति उम्मी-दवारों को आमतौर पर विभाग के मुख्यालय स्थापनों में कार्य करना होगा किन्तु उन्हें भारत में कहीं भी काम करने के लिए कहा जा सकता है ।

च—संसदी मामलों का विभाग

इस विभाग में आशुलिपिकों के पदों का वेतन मान 210-10-270-15-300-द० रो० 15-450-द० रो-20–530- रु० हैं ।

प्रतियोग्यता परीक्षा के जरिये चुनाव द्वारा सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा ।

छ—केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत

केन्द्रीय सर्तकता आयोग में आशुलिपिक के पदों का वेतनक्रम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक के पदों के समान 210-10-270-15-300- द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० है किन्तु ये पद उस सेवा में सम्मिलित नहीं हैं ।

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 1971

संकल्प

सं० फा० 10(4)/69-वक्फ—देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करने के लिए और ऐसी संपत्तियों के उचित पर्यवेक्षण, व्यवस्था और नियंत्रण हेतु समुचित उपायों के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए, वक्फ जांच समिति बनाने के बारे में विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) के दिनांक 9 सितम्बर, 1970 के सकंल्प संख्या फा० 10(4)/69-वक्फ में राष्ट्रपति अपने प्रसाद से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

उक्त सकंल्प में, पैरा 2 (समिति के गठन से सम्बन्धित) में, प्रविष्ट "2. श्री एफ० एच० मोहसिन, सदस्य लोक सभा" के लिए प्रविष्ट "2. श्री जुल्फीकार अली खां, सदस्य लोक सभा" प्रतिस्थापित होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों आदि को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

शुद्धिपत्र

सं० फा० 10(4)/69-वक्फ—जांच समिति के स्थान के सम्बन्ध में विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) में भारत सरकार के सकंल्प सं० फा० 10(4)/69-वक्फ में (भारत के राज पत्र के भाग I खण्ड 1 में पृष्ठ 80-81 पर 23 जनवरी, 1971 को प्रकाशित) तीसरी लाइन में "1 जनवरी, 1971" **के लिए** "9 दिसम्बर, 1970" **पढ़िए** ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

एन० श्रीनिवासन, उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 सितम्बर 1971

सं० 26/3/71-ए०एन०एल०(2)—राष्ट्रपति 'वेस्ट बे कचाल' के श्री कांसा को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त से संबद्ध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र की सलाहकार समिति में 1 अप्रैल, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए फिर से नामित करते हैं ।

सं० 26/3/71-ए०एन०एल०(1)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को, गृह मंत्री से संबद्ध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र की सलाहकार समिति में 1 अप्रैल, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए फिर से नामित करते है:—

1. सरदार नेहचल सिंह
2. श्री ए० पी० अबदुल्ला कुट्टी
3. श्री अजीत कुमार नाग
4. श्री मधु सूदन मंडल
5. श्री मेवा लाल
6. श्री दाऊद

एच० एस० दुबे, उप-सचिव

विदेश व्यापार मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1971

संकल्प

सं० 1/8/70-एच० सी०—इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प, दिनांक 7 जनवरी, 1971 में आंशिक आशोधन करते हुए, भारत सरकार ने, श्रीमती विमला रंगाचार के स्थान पर श्रीमती सुधा वी रेड्डी को, जिन्होंने मैसूर हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन लि०, बंगलौर-1 के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली, के एक सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित करने का विनिश्चय किया है ।

भारत सरकार, उद्योग और वाणिज्य, मैसूर सरकार के निदेशक के स्थान पर, उद्योग और वाणिज्य, मैसूर सरकार बंगलौर के अपर निदेशक को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के एक सदस्य के रूप में, तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने का भी विनिश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बंधित व्यक्तियों आदि को भेजी जाए और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

टी० एस० परमेश्वरन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd October 1971

No. 68-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Jiwan Singh,
Constable No. 412,
2nd Battalion,
Special Armed Force,
Gwalior,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoit Mani Ram Chamar had created a reign of terror in the country side of the districts of Gwalior, Bhind and Datia and had committed a number of murders, dacoities and kidnappings for ransom. On 5th January 1971, in the evening, information was received at Gohad Police Station that dacoit Mani Ram was hiding in village Tudila. The available Police Force was collected and a raid was arranged.

Shri Ram Jiwan Singh volunteered himself for this task. By the time the Police party reached village Tudila it was dark and visibility was limited to a few feet. Shri Ram Jiwan Singh was going from the village to the adjoining river and seeing a suspicious movement, he challenged the person who fired a shot from a ·303 rifle. The intruder was the notorious dacoit Mani Ram Chamar. As he was going to load his rifle again, Shri Ram Jiwan Singh fired a burst from his brengun and shot the dacoit dead.

In this incident Shri Ram Jiwan Singh exhibited courage and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th January 1971.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy. to the President

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd September 1971

No. RS.18/71-T.—Shri Jogendra Singh, an elected Member of the Rajya Sabha representing the State of Uttar Pradesh, has resigned his seat in the Rajya Sabha with effect from the 20th September, 1971.

The 1st October 1971

No. RS.18/71-T.—Prof. Saiyid Nurul Hasan, a nominated Member of the Rajya Sabha, has resigned his seat in the Rajya Sabha with effect from the 30th September, 1971.

B. N. BANERJEE, Secy.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 16th October 1971

No. 9/6/71-CS.II.—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1972, for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962 and before 10th January, 1968 for the purpose of filling temporary vacancies reserved for them in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B)-(Grade II of the Stenographers' Sub-cadre);

(ii) Central Secretariat Stenographers' Service-Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service-Grade II;

(iv) Posts of Stenographer in the office of the Election Commission, Delhi.

(v) Posts of Stenographer in the office of the Central Vigilance Commission, Delhi.

(vi) Posts of Stenographer in the Department of Parliamentary Affairs, Delhi;

(vii) Posts of Stenographer in the Department of Tourism, Delhi; and

(viii) Posts of Steongrapher in other Departments and Offices of the Government of India not participating in the Central Secretariat Stenographers Service/ I.F.S(B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service;

A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the *order of preferences* for the Services/posts for which they wish to be considered. They are advised to indicate as many Services/posts as they wish to, so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination will require only English Stenographers; and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Tests in English (cf. para 3 of Appendix I to the Rules).

N.B. III.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st October 1972.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorgnisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa Daman and Diu), Scheduled Castes Order 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules all Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 and before 10th January 1968, and who have been released during 1971 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1972 will be eligible to appear at this examination.

Provided that Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and before 10th January 1968 and who have been released or are due for release prior to 1972 shall be eligible to appear at this examination in accordance with the provisions of Rule 8.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, "Release" means :

(i) release as per the scheduled year of release.

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service, from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commission Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years as the case may be as short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person is liable to be cancelled if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination

5. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d) (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are non-citizens, in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require, certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (A) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under rule 5 above, must not have attained the age of 24 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

(B) The age limit of 24 years will be relaxable up to the age of 35 years in respect of such of the Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers as had been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Stenotypists in the various Departments/Offices of the Government of India or in the office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission and had rendered not less than 3 years continuous service as Stenographers (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist on the 1st January of the year in which they joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training) and would have so continued but for joining the Armed Forces or have rendered on 1st January, 1972, not less than 3 years continuous service as regularly appointed Stenographers (including language Stenographers)/clerks/Stenotypists in the various Departments/offices of the Government of India or in the office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis of earlier examination, held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service Grade II; or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade II; or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers sub-cadre; or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers Service, Grade II.

NOTE.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of P. & T. Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 8(B) above.

(2) Service rendered by Service Clerks employed in Defence installations shall not be counted for the purpose of rule 6(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage.

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also, a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xv) up to a maximum of four years, if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian Citizen and is a repatriate from Ceylon.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(B) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A Stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist who was on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority at the time of his joining the pre-Commission training in the Armed Forces or the Commission where there was post-Commission training or is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, on release from the Armed Forces will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1969.

8. Subject to the provisions of these Rules, a candidate must take the examinations held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

Provided that :

(i) a candidate released during 1971 may take the examination to be held in 1972 as his first chance; and

(ii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination may take the examination to be held in 1972 as his first chance.

(iii) a candidate released during 1970 may take the examination to be held in 1972 as his second chance.

NOTE.—The provision contained in proviso (ii) above will not apply to candidates who were due for release in 1970 according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the normal tenure of 3 or 5 years service, as the case may be (in the case of Short Service Commissioned Officers).

9. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(vi) Tenth class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi polytechnic;

(vii) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India at the end of the *penultimate* year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(viii) Tenth Class Certificate from a recognised Higher Secondary school or from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (since inception);

(xii) the following French Examinations of Pondicherry :

(i) 'Brevet Elementaire', (ii) Brevet d'Enseignement Primaire de Langue Indienne (iii) Brevet D'etudes du Premier Cycle' (iv) 'Brevet seignment Primarie Superieur de Langue Indenne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular)'.

(xiii) Indian Army Special Certificate of Education;

(xiv) Higher Education Test of Indian Navy;

(xv) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xvi) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xvii) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xviii) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna in East Pakistan;

(xix) School Leaving Certificate Examination of Government of Nepal;

(xx) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxi) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxii) Anglo-vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (pre-war);

(xxiii) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxiv) the 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xxv) Pass in the 5th Year of 'Lyceum' a Portugese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English; and

(xxviii) The junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Boards of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English), or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subject with English as one of the subjects of the Varnaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi; and

(xxx) Carta de course de Formaco de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Course de Mantador Electricista (certificate in Electrician course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portugese set up prior to liberation of Goa, Daman and Diu.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the

result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

10. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding of his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

All other candidates in Government Service must submit their applications for this examination to their Head of department or office concerned who will forward it to the Union Public Service Commission.

12. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

Note.—In the case of the disabled *ex*-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

13. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

14. No candidate will be admitted to the examination unless he holds as certificate of admission from the Commission.

15. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

16. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

17. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service; and for appointment to other Services/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. (a) If on the result of the examination a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s).

19. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of this examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts (cf. Col. 25 of the application form).

20. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

22. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN,
Under Secretary.

APPENDIX I

1. The competitive examination comprises:

(a) Written examination in two subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 200 marks.

(b) Shorthand tests as shown in para 2 and Part B of the Schedule below for those who qualify at the written examination, carrying a maximum of 250 marks.

(c) Evaluation of record of service for those who qualified at the written examination carrying a maximum of 50 marks.

2. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows:—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	*Time Allowed*	*Maximum Marks*
(i) English	3 hours	100
(ii) General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST) 250 marks

Note.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

3. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix and the question papers for the written examination will be the same as for the corresponding subjects in the scheme of the regular Stenographers' Examination with which this examination will be held concurrently.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test, either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests, also in Hindi (Devanagari) only; and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Note.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Col 10 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

5. Paper (i) English, of the Written Test, must be answered in English by all candidates.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

7. Candidates must write the papers in their own hands. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

Note.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade.—Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900. (Persons promoted from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500 in the scale).

Grade I.—Rs. 350-25-650-EB-30-770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400).

Grade II.—Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

Grade III—Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280.

(2) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or, if his work or conduct, in the opinion of Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons, recruited to Grade II of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.

(5) Persons recruited to Grade II of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade II of the Service in pursuance of their option for that service will not after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

B. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers Sub-cadre*

The scale of Grade II of the SSC of the Indian Foreign Service (B) is Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530. The officers appointed to grade II of the SSC of the I.F.S. (Branch 'B'). will be governed by the I.F.S. Branch (B) (RCSP) Rules 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade. They are, however, liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India including non family stations.

During service abroad IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.

(iv) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries where abnormally cold climatic conditions exist.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

The Revised Leave Rules, 1933 as amended from time to time will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers, are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

While in India, officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

Officers appointed to this Service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950 as amended from time to time and by orders issued thereunder

C. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.*

The AFHQ Stenographers' Service has, at present, three grades as follows :

(1) STENOGRAPHERS GRADE I (Private Secretary) Class II-Gazetted (Selection Grade)
Scale of Pay Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-
Persons promoted from Grade I are allowed a higher start of Rs. 500/- in the Scale.

(2) STENOGRAPHERS GRADE I (Senior Personal Assistants) Class II-Gazetted
Scale of pay Rs. 350-25-650-EB-30-740.
Persons promoted from Grade II are allowed a higher start of Rs. 400/- in the scale.

(3) STENOGRAPHERS GRADE II (Personal Assistants) Class II—Non-Gazetted.
Scale of Pay Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

2. Persons recruited direct as temporary stenographers Grade II (Personal Assistants) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationers from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time, prescribe.

3. Stenographers Grade II recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi, where offices of the AFHQ/IS Organisations may be located.

40 Stenographers Grade II will be eligible for promotion to the post of Stenographer Grade I (Senior Personal Assistants and Stenographers' Grade I (SPAs) will be eligible for promotion to Stenographer Grade I (Private Secretary) in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

D. *Election Commission of India.*

The Election Commission of India has at present the following categories of Stenographers :—

(i) Private Secretary to the Chief Election Commissioner of India in the scale of pay of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 (promotees to th e post are allowed a minimum salary of Rs. 500/- p.m. in the scale).

(ii) Senior Personal Assistants in the scale of pay of Rs. 350—25—650—EB—30—770 (promotees are allowed a minimum salary of Rs. 400/- p.m.)

(iii) Stenographers in the scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

(iv) Stenographers in the scale of pay of Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

The posts are not included in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed in posts included in the cadre of the Central Secretariat Stenographers' Service. The period of probation in respect of these posts is two years.

A certain percentage of vacancies in the scale of pay of Rs. 210—530 may have to be filled by promotion from the lower grade as may be decided in this behalf. Persons appointed as Stenographers in the scale of pay of Rs. 210—530 may, during the period of probation, be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Commission. They will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

E. *Department of Tourism.*

The posts of Senior Stenographers in the Department of Tourism are sanctioned in the revised scale of Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425 and belong to General Central Service Class II (Non-Gazetted)—Ministerial. Senior Stenographers with at least five years service are eligible for promotion in the post of personal Assistant in the pay scale of Rs. 320-15-470-E.B.-15-530. Candidates appointed on the results of this examination will ordinarily be required to serve in the Headquarters establishment of the Department but may be required to serve anywhere in India.

F. *Department of Parliamentary Affairs*

The scale of pay for the posts of Stenographer in the Department is Rs. 210-10-270-15-300-E.B.-15-450-E.B.-20-530.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

G. *Central Vigilance Commission, India.*

The posts of Stenographer in the Central Vigilance Commission carry a scale of pay of Rs. 210-10-270-15-300-E.B.-15-450-E.B.-20-530 like the posts of Stenographer in the Central Secretariat Stenographers' Service, but these posts are not included in that Service.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, 21st September 1971

No. F. 10(4)/69-*Wakf.*—In the Resolution of the Government of India in the Ministry of Law (Legislative Department) No. F. 10(4)/69-Wakf, relating to the setting up of the Wakf Inquiry Committee, published at pages 85-86 of the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 23rd January, 1971, in line three *for* "1st January 1971" *read* "9th December 1970".

ORDER

ORDERED that the corrigendum be published in the Gazette of India, for information.

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd September 1971

No. F. 10(4)/69-*Wakf*.—The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Law (Legislative Department) Resolution No. F. 10(4)/69-Wakf, dated the 9th December, 1970 regarding the setting up of the Wakf Inquiry Committee to go into all aspects of the administration of Wakf properties in the country and to recommend suitable measures for the proper supervision, management and control of such properties, namely :—

In the said Resolution, in paragraph 2 (relating to the constitution of the Committee), *for* the entry "2. Shri F. H. Mohsin, Member, Lok Sabha", the entry "2. Shri Zulfiquar Ali Khan, Member, Lok Sabha" shall be *substituted*.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrators of Union Territories, etc., etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. SRINIVASAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, *the 24th September* 1971

No. 26/3/71-*ANL*(2).—The President is pleased to renominate Shri Kansa of West Bay Katchal to the Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Chief Commissioner of the Islands for the period 1st April, 1971 to 31st December, 1971.

No. 26/3/71-*ANL*(1).—The President is pleased to renominate the following non-official members to the Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Home Minister, for the period 1st April, 1971 to 31st December, 1971 :—

1. Sardar Nehchal Singh.
2. Shri A. P. Abdulla Kutty.
3. Shri Ajit Kumar Nag.
4. Shri Madhu Sudhan Mondal.
5. Shri Mewa Lal.
6. Shri Dawood.

H. S. DUBEY, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 20th September 1971

RESOLUTION

No. 1/8/70-*HC*.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 7th January, 1971, the Government of India have decided to nominate Smt. Sudha V. Reddy who has taken over as Chairman, Mysore State Handicrafts Development Corporation Ltd., Bangalore-1 as a member of the All India Handicrafts Board, New Delhi, in place of Smt. Vimla Rangachar, with immediate effect.

The Government have also decided to appoint Additional Director of Industries & Commerce, Government of Mysore, Bangalore, as member of the All India Handicrafts Board, New Delhi, in place of Director of Industries and Commerce, Government of Mysore, Bangalore with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

T. S. PARAMESWARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971